# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 69/प्रा.पत्र/2024 | 20.08.2024 | 25.03.2025 |
| ( GCMS No. 2024/118 ) | | |

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

सोहन पुत्र मेघा जाति मेघवाल,
निवासी ग्राम डोरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
( कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970 )

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री कमलेश त्रिपाठी, श्री कपिल सैनी एडवोकेट

## निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी सोहन आ. मेघा बलाई को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 588/736 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाकेग्राम डोरा आवंटन आदेश दिनांक 25.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 69/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/118 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त आवंटित भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार तालेडा द्वारा यह कार्यवाही एक प्रिन्टेड फार्म को आधा अधूरा भरकर पेश की गई है, जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा आवंटन के 50 वर्ष पश्चात पेश किया गया है, जिसके साथ अवधि को कन्डोन करने बाबत अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथमदृष्टया ही अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, केवल वर्तमान खसरा गिरदावरी संवत 2080 पेश की गई है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवंटी ने आवंटन के पश्चात कभी कृषि कार्य नहीं किया हो और न ही आंवटी का कब्जा रहा हो, बल्कि आवंटन के पूर्व से ही भूमिहीन आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटित की जाकर नियमानुसार कब्जा आवंटी को सिपुर्द किया गया था। आवंटी आवंटन से लगातार आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है। ऐसे में नियमानुसार नियम 18 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के तहत आवंटन के 10 वर्ष पश्चात स्वप्रस्ताव आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका है। उक्त कार्यवाही असत्य तथ्यों के आधार पर बहुमूल्य भूमि पर भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने की गरज से पेश की है जो अनुसूचित जाति के गरीब लाचार कमजोर व्यक्ति के लिए हितों एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है। यदि उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो इससे गरीब परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2024(2) पेज 1371, धारा 101 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956, नियम 14(4) एवं नियम 18 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970, आरआरडी 2009 पेज 177, डीएनजे 2016(2) पेज 732 की नजीरे पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि सोहन आ. मेघा जाति बलाई निवासी डोरा को दिनांक 25.11.1975 को भूमि ख.सं. 588 मिन रकबा 5 बीघा वाकेग्राम डोरा का आवंटन किया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। ग्राम डोरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 588/736 रकबा 0.8094 हैक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर पड़त पड़ी हुई है। नकल खसरा गिरदावरी रबी (उन्हालू) संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पडी हुई है। जिससे गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सोहन आ. मेघा जाति बलाई निवासी डोरा को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 588 मिन रकबा 5 बीघा (हाल ख.सं. 588/736 रकबा 0.8094 हैक्टेयर) वाकेग्राम डोरा दिनांक 25.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर बून्दी